## अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
## GRANT No. 45 - MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 3285,19,00 | 4030,22,00 | 2942,59,31 | -1087,62,69 |
| पूरक | Supplementary | 745,03,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 1087,40,28 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 2,46,00 | 2,47,00 | 1,92,25 | -54,75 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 54,71 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹108762.69 लाख) दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹74503.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹108762.69 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹74503.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 27 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" | Major Head "3451" | | | | |
| सचिवालय – आर्थिक सेवाएं | Secretariat - Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 12510.00 | 7793.93 | 7793.77 | -0.16 |
| पु. | R. | -4716.07 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2408" | Major Head "2408" | | | | |
| खाद्य, भंडारण और भांडागार | Food, Storage and Warehousing | | | | |
| मू. | O. | 282692.00 | | | |
| पू. | S. | 74501.00 | 210061.93 | 210039.69 | -22.24 |
| पु. | R. | -147131.07 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | |
| उत्तर पूर्व क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 15642.00 | | | |
| पू. | S. | 2.00 | .. | .. | .. |
| iq- | R. | -15644.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" | Major Head "3601" | | | | |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 17175.00 | 75861.88 | 75861.88 | .. |
| पु. | R. | 58686.88 | | | |

(I) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹21262.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹21244.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे:

(I) Provision of ₹21262.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹21244.00 lakhs accounted for the following major heads-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" –

(A) Major Head "2408" - "Food"

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – पी.

(a) "Special Component Plan for Scheduled

एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी. एम. एफ़. एम. ई.) योजना का औपचारीकरण" – ₹3689.00 लाख; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – पी. एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी. एम. एफ़. एम. ई.) योजना का औपचारीकरण" – ₹1911.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निधियां जारी करने की कार्यविधि में परिवर्तन होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) "आरक्षी निधियों को अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण" – ₹74500.00 लाख पी. एम. के. एस. वाई. योजना के संबंध में लोक लेखा के अंतर्गत कृषि और विकास निधि को निधियां अंतरित नहीं किए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण"–

(क) "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" – ₹9233.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ख) "पी. एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी. एम. एफ़. एम. ई.) योजना का औपचारीकरण योजना" – ₹6411.00 लाख (₹1,00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लाभ के लिए योजनाओं में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹4716.23 लाख की बचत (₹12510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, विज्ञापन और प्रचार कार्य को

Castes-PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" -₹3689.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan- PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme"-₹1911.00 lakhs).

Provisions under the above two heads remained unutilized due to change in procedure for release of funds.

(c) "Transfer to Reserve Funds - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund" - ₹74500.00 lakhs due to non transfer of funds to Agriculture and Development Fund under Public Account in respect to the PMKSY Scheme.

(B) Major Head "2552" - "Food - Food Processing" -

(a) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - ₹9233.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(b) "PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme"- ₹6411.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region States and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" - saving of ₹4716.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12510.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant

अंतिम रूप नहीं दिए जाने, सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और मितव्यता उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "खाद्य प्रसंस्करण" –

(क) "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" – ₹10557.56 लाख की बचत (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹71459.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मेगा खाद्य पार्कों के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं, लाभार्थियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और योजना को बंद करने के कारण हुई।

(ख) "पी. एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी. एम. एफ़. एम. ई.) योजना का औपचारीकरण स्कीम" – ₹32716.84 लाख की बचत (₹34170.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष से राशि जारी करने की कार्यविधि में परिवर्तन किए जाने और योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सहायिकी के लिए पात्र आवेदकों की भर्ती नहीं करने के कारण निधियां वापस लिए जाने की वजह से हुई।

(ग) "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन–सह–प्रोत्साहन योजना" – ₹93945.65 लाख की बचत (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹152980.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रेणी 1 के आवेदकों के लिए प्रोत्साहन राशि योजना की अवधि के लिए कुल प्रोत्साहन राशि के 15.25% तक सीमित कर दिए जाने के कारण हुई ।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" – ₹2640.32 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित

posts, non finalization of advertising and publicity work, requirement of less funds by CPWD and economy measures.

(III) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Food processing"-

(a) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹10557.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹71459.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from grantee institutions, beneficiaries and discontinuation of the scheme for Mega Food Parks.

(b) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme"- saving of ₹32716.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34170.00 lakhs) was due to change in procedure for release of funds and non-utilisation/withdrawls of funds by UTs owing to non-recepit of eligible applications for credit linked subsidy under the scheme.

(c) "Production-Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry" - saving of ₹93945.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹152980.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh) was due to incentive outgo for Category-l applicants which has been capped at 15.35% of the total incentive for the tenure of the Scheme.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹2640.32 lakhs (against the total sanctioned

₹7663.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" – ₹3273.74 लाख की बचत (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3970.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुदान प्राप्त कर्ता संगठनों, एजेंसियों और लाभार्थियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने / कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹52765.61 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था: –

(का) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य प्रसंस्करण" –

(क) "राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली (हरियाणा)" – ₹1273.90 लाख।

(ख) "राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर, तमिल नाडू (पूर्ववर्ती आई. आई. एफ़. पी. टी)" – ₹324.90 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता / हिस्सा – पी. एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी. एम. एफ़. एम. ई.)" – ₹51166.81 लाख।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– पी. एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी. एम. एफ़. एम. ई.)

provision of ₹7663.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹3273.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3970.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt/less receipt of proposals from grantee organizations, agencies and beneficiaries.

2.(I) The above savings were partly (₹52765.61 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" - "Food - Food Processing" -

(a) "National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Kundli (Haryana)" - ₹1273.90 lakhs.

(b) "National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Thanjavur, Tamil Nadu ( Earlier IIFPT)" - ₹324.90 lakhs.

(B) Major Had "3601" - "Centrally sponsored Schemes - Central Assistance/Share - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme - ₹51166.81 lakhs".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes" - under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - PM Formalization of Micro Food Processing

योजना का औपचारीकरण योजना" – ₹4988.00 लाख का अधिक व्यय (₹1585.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – पी. एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी. एम. एफ़. एम. ई.) योजना का औपचारीकरण योजना" – ₹2532.07 लाख का अधिक व्यय (₹821.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत हुआ अधिक व्यय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों को ऋण सह राजसहायता की स्वीकृति और संवितरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Enterprises (PMFME) Scheme" - excess of ₹4988.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1585.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area Sub-Plan - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme"- excess of ₹2532.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹821.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards sanction and disbursement of credit linked subsidy to States to achieve the targets as per Cabinet approval.